पंचायती राज चुनाव 2026 · बूथ पर मतदाता की पहचान · मतदान दल के लिए

मतदाता की पहचान: मशीन वाला दिन और मतपेटी वाला दिन

पहचान किस काग़ज़ से, आपत्ति कब और किसके पास, किसी और ने पहले ही वोट डाल दिया हो तो निविदत्त मतपत्र, दृष्टिबाधित या दिव्यांग मतदाता, कम उम्र लगे तो, स्याही किस उँगली पर। दोनों दिन का तरीका अलग है, इसलिए आमने-सामने।

आधार: राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश 5310, 2235 और 9605; पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 41 और 44; आयोग की दोनों मार्गदर्शिकाएँ (ईवीएम से मतदान और जहाँ मतदान मतपेटी से होगा) 2026 · हर [] छूने पर स्रोत उसी पेज पर खुलता है

मशीन वाला दिन · ज़िला परिषद + पंचायत समिति

- वोट **MPSV EVM** पर [EVM पृ. 20]
- मतदाता **रजिस्टर (प्ररूप-12)** में दस्तख़त या अँगूठा, उसके बाद ही वोट [EVM पृ. 113]
- स्याही **बाईं तर्जनी** पर [EVM पृ. 26]

मतपेटी वाला दिन · पंच + सरपंच

- मतदान पंचायत समिति और ज़िला परिषद के बाद, **अलग दिन** [कार्यक्रम 9836] [आदेश 10090]
- **रजिस्टर नहीं**; मतपत्र देते समय मतदाता के दस्तख़त या अँगूठा नहीं, मतपत्र का क्रमांक चिह्नित सूची में नाम के आगे [मतपेटी पृ. 5]
- पहले दिन का निशान दिख रहा हो, तो स्याही **दाईं तर्जनी** पर [आदेश 2235] [मतपेटी पृ. 5]

पंचायत चुनाव में “साथी” से वोट नहीं डलवाया जाता

दृष्टिबाधित या दिव्यांग मतदाता मदद माँगे, तो मदद **मतदान अधिकारी (PO) ख़ुद** करते हैं, मतदाता की मर्ज़ी से [EVM पृ. 20] [नियम 41]। मतपेटी वाली मार्गदर्शिका: **“लेकिन पंचायत चुनावों में मतदान अधिकारी ही ऐसे दृष्टिबाधित व दिव्यांग मतदाताओं को नियम 41 के अन्तर्गत ... मत अंकित करने में सहायता करेंगें, क्योंकि पंचायत चुनावों में साथी की सहायता से मत देने का प्रावधान नहीं है।”** [मतपेटी पृ. 5] पूरा तरीका पेज 3 पर।

1 पहचान किस काग़ज़ से (आदेश 5310)

दोनों दिन एक ही आदेश: पहचान के लिए **भारत निर्वाचन आयोग का फ़ोटो पहचान पत्र (EPIC)**। EPIC न दिखा सके, तो चुनाव की **घोषणा से पहले जारी** इनमें से कोई **एक मूल** फ़ोटो वाला दस्तावेज़: [आदेश 5310] [आदेश 5310, पृ. 2]

1. आधार कार्ड
2. VB-G RAM G / मनरेगा कार्ड
3. बैंक या डाकघर की फ़ोटो वाली पासबुक
4. श्रम मंत्रालय की योजना का स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड / आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड
5. ड्राइविंग लाइसेंस
6. पैन कार्ड
7. भारतीय पासपोर्ट
8. फ़ोटो वाला पेंशन दस्तावेज़
9. केंद्र या राज्य सरकार, लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनी का अपने कर्मचारियों को दिया फ़ोटो वाला सेवा पहचान पत्र
10. सांसदों और विधायकों का सरकारी पहचान पत्र
11. यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड

दस्तावेज़ पर वैधता की अवधि लिखी हो, तो वह उसी अवधि तक मान्य। [आदेश 5310, पृ. 2]

परिवार का मुखिया, अपने EPIC या ऊपर के दस्तावेज़ के आधार पर, परिवार के बाक़ी सदस्यों की पहचान कर सकता है, बशर्ते सब उसके साथ आएँ और उनकी पहचान हो सके। [आदेश 5310, पृ. 2]

यह आदेश पिछले आदेश 559 (07.02.2019) और 603 (19.01.2026) की जगह है। [आदेश 5310]

2 पहचान और आपत्ति: दोनों दिन आमने-सामने

बात	मशीन वाला दिन ज़िला परिषद + पंचायत समिति · MPSV EVM	मतपेटी वाला दिन पंच + सरपंच · मतपत्र और मतपेटी
पहचान कौन जाँचे	**पहला सहायक मतदान अधिकारी**, मतदाता सूची की चिह्नित प्रति के साथ; पहचान की ज़िम्मेदारी उन्हीं की। साथ में देखें कि बाईं तर्जनी पर पहले से स्याही न हो। [EVM पृ. 25]	**पहला सहायक मतदान अधिकारी**, मतदाता सूची की कार्यकारी प्रति के साथ; पहचान की ज़िम्मेदारी उन्हीं की। [मतपेटी पृ. 9]
पर्ची	पर्ची हो या न हो, नाम ढूँढना ड्यूटी है, मतदाता को लौटाएँ नहीं [EVM पृ. 25] [EVM पृ. 26]। पर्ची पहचान का सबूत **नहीं**: उससे सिर्फ़ क्रमांक पढ़ें, नाम मतदाता से बुलवाएँ [EVM पृ. 90]। पर्ची पर उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिह्न छापना अपराध; पहचान के बाद पर्ची फाड़कर टोकरी में [EVM पृ. 26]	पर्ची हो या न हो, नाम ढूँढें, मतदाता को लौटाएँ नहीं; पर्ची पर उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिह्न छापना अपराध। [मतपेटी पृ. 9]
नाम ज़ोर से	प्रविष्टि ज़ोर से पढ़ें, ताकि दूसरा सहायक मतदान अधिकारी और अभिकर्ता सुनें; नाम के नीचे लाइन; महिला हो तो नाम के बाईं ओर ✓, तृतीय लिंग हो तो *। EPIC से पहचान हुई हो तो नाम से पहले **E**, दूसरे दस्तावेज़ से तो **D**। [EVM पृ. 25]	प्रविष्टि ज़ोर से पढ़ें, ताकि अभिकर्ता आपत्ति कर सकें। [मतपेटी पृ. 9]
क्या लिखा जाए	दूसरा सहायक मतदान अधिकारी दस्तावेज़ के नंबर के **आख़िरी 4 अंक** रजिस्टर के रिमार्क वाले खाने में लिखें (नंबर 4 अंक से छोटा हो तो पूरा)। [EVM पृ. 21]	रजिस्टर नहीं होता। मतपत्र देते समय मतदान अधिकारी या सहायक मतदान अधिकारी उसका क्रमांक चिह्नित सूची में नाम के आगे लिखें; कोई और यह न लिखे कि किस मतदाता को कौन सा क्रमांक मिला। [मतपेटी पृ. 5]
सूची में छपाई की गलती	वोट से मना न करें; मतदान अधिकारी (PO) तसल्ली करें कि प्रविष्टि इसी व्यक्ति की है, और कारण लिखें [EVM पृ. 90] [EVM पृ. 91]। जैसे उम्र 21 की जगह 12 छपी हो। [EVM पृ. 21]	छपाई की गलती पर मतपत्र से मना न करें। [मतपेटी पृ. 20]
आपत्ति कब, कौन करे	उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता, **सिर्फ़ इसी समय**, जब पहला सहायक मतदान अधिकारी नाम पढ़ रहे हों; बाद में नहीं। [EVM पृ. 25] [EVM पृ. 26]	**सिर्फ़ पहले सहायक मतदान अधिकारी** के पास; उसके बाद नहीं। [मतपेटी पृ. 9]
आपत्ति के बाद	आगे की **सारी कार्यवाही मतदान अधिकारी (PO)** करें; पहचान साबित हो तो मतदाता दूसरे सहायक मतदान अधिकारी के पास। [EVM पृ. 26] आपत्ति और निविदत्त के मामले PO तय करें। [EVM पृ. 21]	आपत्ति और निविदत्त के मामले **मतदान अधिकारी (PO)** तय करें। [मतपेटी पृ. 9]
फ़ीस, सूची	पंचायत चुनाव में आपत्ति की **फ़ीस नहीं**, आपत्ति वाले वोटों की **कोई सूची नहीं**। [EVM पृ. 21]	**फ़ीस नहीं**, **सूची नहीं**। [मतपेटी पृ. 20]
सवाल पूछना	PO या सहायक मतदान अधिकारी को पहचान या वोट के हक़ पर शक हो, और उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता चाहें, तो PO तसल्ली के लिए मतदाता से सवाल पूछ सकते हैं। [EVM पृ. 21]	मतदाता **न कोई दस्तावेज़ दिखाए, न सवालों के जवाब दे**, तो मतपत्र नहीं। पहचान हो जाए तो वोट से मना नहीं। [मतपेटी पृ. 20]
“वोट का हक़ नहीं”	पहचान हो गई, तो यह कहकर किसी को नहीं रोका जा सकता कि वह मतदाता होने लायक नहीं। [EVM पृ. 91] [EVM पृ. 113]	अयोग्यता (जैसे यहाँ का निवासी नहीं, 18 से कम) पर आपत्ति नहीं; नियम 37 में मतदान अधिकारी अयोग्यता की जाँच नहीं कर सकते। [मतपेटी पृ. 20]
फ़र्ज़ी पहचान, प्रतिरूपण	**दोनों दिन:** कोई झूठे या जाली पहचान पत्र से, या किसी और मतदाता का प्रतिरूपण करके वोट डालने की कोशिश करे, तो उसके ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता की **धारा 172** में कार्यवाही [आदेश 5310, पृ. 2]; सज़ा **धारा 174** में: एक साल तक की क़ैद, या जुर्माना, या दोनों। [आदेश 5310, पृ. 3] **मशीन वाली मार्गदर्शिका:** प्रतिरूपण साबित हो, तो उसे **लिखित शिकायत के साथ पुलिस** को सौंपें; हिचकिचाएँ नहीं। [EVM पृ. 90] [EVM पृ. 113]	

3 उसके नाम पर कोई पहले ही वोट डाल गया: निविदत्त मतपत्र

बात	मशीन वाला दिन ज़िला परिषद + पंचायत समिति · MPSV EVM	मतपेटी वाला दिन पंच + सरपंच · मतपत्र और मतपेटी
मिलेगा क्या	मशीन पर वोट **नहीं**; निविदत्त मतपत्र। [EVM पृ. 91] [EVM पृ. 113]	निविदत्त मतपत्र; वह **मतपेटी में नहीं** जाता। [मतपेटी पृ. 19] [नियम 44]
कौन तय करे	**PO ख़ुद**; असली कौन, नक़ली कौन, यह मतदान अभिकर्ताओं की मदद से। मतपत्र देने से पहले PO पहचान के सवाल पूछ सकते हैं; तसल्ली हो, तभी आगे। [EVM पृ. 91] [EVM पृ. 92]	PO [मतपेटी पृ. 9]; पहचान के सवालों के जवाब से तसल्ली हो, तब। [नियम 44]
कौन सा मतपत्र	बैलेट यूनिट पर लगे मतपत्र जैसा; हर चुनाव का अलग। हर बूथ पर **20**; कम पड़ें तो ज़ोनल मजिस्ट्रेट को बताएँ। [EVM पृ. 91]	साधारण मतपत्र, पर बूथ के मतपत्रों में **आख़िरी क्रमांक** वाला। [मतपेटी पृ. 19] [नियम 44]
पीठ पर	'निविदत्त मतपत्र' की मुहर (मुहर न हो तो हाथ से लिखें) और हस्ताक्षर [EVM पृ. 91]; बूथ की सुभिन्नकारी मुहर भी। [EVM पृ. 92]	मतदान अधिकारी **ख़ुद हाथ से** "निविदत्त मतपत्र" लिखें और नीचे हस्ताक्षर करें। [मतपेटी पृ. 19] [नियम 44]
देने से पहले	**बाईं तर्जनी** पर स्याही; निविदत्त सूची **प्ररूप-13** में प्रविष्टि और मतदाता के हस्ताक्षर या अँगूठा; फिर मतपत्र। [EVM पृ. 92]	हर चुनाव का अलग **प्ररूप-6** (परिशिष्ट-9): खाना 4 में निविदत्त मतपत्र का क्रमांक, खाना 5 में उस मतपत्र का क्रमांक जिससे उसके नाम पर पहले वोट डला, खाना 6 में मतदाता के हस्ताक्षर या अँगूठा। [मतपेटी पृ. 19]
निशान	साथ आई **तीर-क्रॉस मुहर** से, किसी भी उम्मीदवार या नोटा पर; मतदाता मोड़कर PO को दे। [EVM पृ. 91] [EVM पृ. 92]	वोटिंग कम्पार्टमेंट में निशान, फिर मतपत्र मतदान अधिकारी को; पेटी में नहीं। [मतपेटी पृ. 19]
सूची में	मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में '**टी**' अक्षर। [EVM पृ. 113]	चिह्नित सूचियों में नाम के आगे "**TEND**"। [मतपेटी पृ. 19]
बाद में	निविदत्त मतपत्र: ज़िला परिषद **PE-47**, पंचायत समिति **PE-46**; प्ररूप-13 की सूचियाँ: ज़िला परिषद **PE-49**, पंचायत समिति **PE-48**; सब सील। हिसाब प्ररूप-14 भाग-1 की मद 7 में। [EVM पृ. 92]	न पेटी में, न गिनती में [मतपेटी पृ. 19] [मतपेटी पृ. 20]; लिफ़ाफ़ा: पंच **P-17**, सरपंच **P-16**, सील [परिशिष्ट-15, मतपेटी पृ. 110]; मतपत्र-लेखा में मद 4(ख)। [मतपेटी पृ. 129]

पंच और सरपंच के लिफ़ाफ़ों के नंबर मतपेटी वाली मार्गदर्शिका के परिशिष्ट-15 की तालिका से हैं, जिसमें हर लिफ़ाफ़े के साथ पद लिखा है [मतपेटी पृ. 110]; मार्गदर्शिका के पाठ (पृ. 19, 20 और 23) में ये दोनों नंबर आपस में बदले हुए छपे हैं। ब्योरा: स्रोतों में फ़र्क़: लिफ़ाफ़े

4 दृष्टिबाधित या दिव्यांग मतदाता, कम उम्र, स्याही

बात	मशीन वाला दिन ज़िला परिषद + पंचायत समिति · MPSV EVM	मतपेटी वाला दिन पंच + सरपंच · मतपत्र और मतपेटी
दृष्टिबाधित या दिव्यांग	मतदाता "दृष्टिबाधित/दिव्यांगता अथवा अनभिज्ञता के फलस्वरूप" मदद चाहे, तो PO मदद करें [EVM पृ. 20]। कोई फ़ॉर्म नहीं; मतदाता सूची में उसके क्रमांक पर **"AA"**, और रजिस्टर (प्ररूप-12) के खाना 4 (अभियुक्तियाँ) में मदद का कारण: दिव्यांग या दृष्टिबाधित [EVM पृ. 21] [EVM पृ. 25]। PO को कम्पार्टमेंट में जाना पड़े, तो अभिकर्ताओं को साथ आने को कहें। [EVM पृ. 21] [EVM पृ. 113]	मतदाता कहे, तो **मतदान अधिकारी** वोटिंग कम्पार्टमेंट में जाकर उसकी मर्ज़ी से निशान लगाएँ और मतपत्र मोड़कर पेटी में डालें [मतपेटी पृ. 19] [नियम 41]। कोई फ़ॉर्म नहीं; मतदाता सूची में नाम के आगे **"AA"**। [मतपेटी पृ. 19] ऐसे मतदाताओं का ब्योरा डायरी (परिशिष्ट-23-B) में। [मतपेटी पृ. 21]
उम्र कम लगे	पहचान और सूची की प्रविष्टि से तसल्ली हो, पर उम्र कम लगे: पहले झूठी घोषणा की सज़ा (धारा 18-क, परिशिष्ट-3) बताएँ, फिर **परिशिष्ट-10** में उम्र की घोषणा; सूची **परिशिष्ट-11** (भाग I: घोषणा दी; भाग II: मना कर बिना वोट गया); काग़ज़ विविध काग़ज़ात वाले लिफ़ाफ़े **PE-57** में। [EVM पृ. 91]	पहले धारा 18-क की सज़ा (परिशिष्ट-3) बताएँ, फिर **परिशिष्ट-13** में घोषणा; सूची **परिशिष्ट-14**; ये काग़ज़ लिफ़ाफ़ा **P-1** में, जो सील नहीं होगा। [मतपेटी पृ. 20] [मतपेटी पृ. 21]
स्याही	दूसरा सहायक मतदान अधिकारी पहले **बाईं तर्जनी** देखें, फिर उसी पर स्याही: नाख़ून के ठीक ऊपर की चमड़ी पर, नाख़ून को छूती हुई; कम से कम 30 सेकंड सूखने दें। [EVM पृ. 26]	मशीन वाले दिन का निशान बाईं तर्जनी पर दिख रहा हो, तो इस दिन **दाईं तर्जनी** पर। [आदेश 2235] [मतपेटी पृ. 5]
दोबारा मतदान	ज़िला परिषद या पंचायत समिति का दोबारा मतदान हो, तो **बाईं मध्यमा** (बीच की उँगली) पर, क्योंकि इन पदों का मतदान पहले होता है। [मतपेटी पृ. 5] [आदेश 2235, पृ. 2] [कार्यक्रम 9836] [आदेश 10090]	पंच या सरपंच का दोबारा मतदान हो, तो **दाईं मध्यमा** पर, क्योंकि इन पदों का मतदान बाद में होता है। [मतपेटी पृ. 5] [आदेश 2235, पृ. 2] [कार्यक्रम 9836] [आदेश 10090]

5 लाइन और ख़ास सुविधा

आयोग के आदेश

बुज़ुर्ग मतदाता, आदेश 9605 (29.09.2026): (1) मतदान में प्राथमिकता (2) सही रैंप और संकेत (3) छाया वाली प्रतीक्षा की जगह और अलग लाइन (4) ज़रूरत हो तो स्वयंसेवक और NSS की मदद (5) मतदान दल विनम्र और ज़्यादा संवेदनशील (6) ज़रूरत हो तो व्हीलचेयर। [आदेश 9605]

दिव्यांग मतदाता, आदेश 9022 (18.09.2026): आयोग की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक़ ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश: दिव्यांग मतदाताओं की मैपिंग; हर पंचायत समिति में उनकी मदद के लिए एक नोडल अधिकारी; उन्हें बूथ तक लाना और वापस छोड़ना; मतदान केंद्र पर ख़ास सुविधाएँ। [प्रेस विज्ञप्ति 9836, पृ. 5]

बात	मशीन वाला दिन ज़िला परिषद + पंचायत समिति · MPSV EVM	मतपेटी वाला दिन पंच + सरपंच · मतपत्र और मतपेटी
लाइन	पुरुषों और महिलाओं की अलग लाइन; अंदर एक बार में 3-4 मतदाता। दिव्यांग, दृष्टिबाधित, बुज़ुर्ग और गोद में बच्चे वाली महिला को पहले; दिव्यांग और दृष्टिबाधित मतदाताओं को अंदर आने में मदद। [EVM पृ. 21]	पुरुषों और महिलाओं की अलग लाइन, अंदर 3-4 मतदाता; दिव्यांग, बुज़ुर्ग और गोद में बच्चे वाली महिला पहले; दिव्यांग को अंदर आने में मदद; प्राथमिकता की तख़्ती। [मतपेटी पृ. 21]

दोनों दिन एक जैसा

पहचान का आदेश (5310), आपत्ति सिर्फ़ पहले सहायक मतदान अधिकारी के पास, आपत्ति की फ़ीस और सूची नहीं, छपाई की गलती पर मना नहीं, पहचान के बाद “वोट का हक़ नहीं” कहकर रोकना नहीं, आपत्ति और निविदत्त के मामले PO के पास, दृष्टिबाधित या दिव्यांग मतदाता की मदद PO ख़ुद करें और “AA” लिखें। [आदेश 5310] [EVM पृ. 21] [EVM पृ. 26] [मतपेटी पृ. 9] [मतपेटी पृ. 19] [मतपेटी पृ. 20]

जो अलग है, वहीं गलती होती है

रजिस्टर (प्ररूप-12) में मतदाता के दस्तख़त या अँगूठा सिर्फ़ मशीन वाले दिन; स्याही मशीन वाले दिन बाईं, मतपेटी वाले दिन दाईं तर्जनी; निविदत्त: मशीन वाले दिन प्ररूप-13 और ‘टी’, मतपेटी वाले दिन प्ररूप-6 और “TEND”; उम्र की घोषणा: परिशिष्ट-10/11 बनाम 13/14; लिफ़ाफ़ों के नंबर अलग। [EVM पृ. 92] [EVM पृ. 113] [मतपेटी पृ. 5] [मतपेटी पृ. 19]

साइट पर पूरा ब्योरा: मशीन पर मतदान: निविदत्त · पहला मतदान (मशीन): निविदत्त · पहला मतदान (मतपेटी): निविदत्त · मतपेटी वाला दिन: मतदान · मतपेटी वाले दिन की दिक्कतें (PDF) · स्रोतों में फ़र्क़: लिफ़ाफ़े

स्रोत [] छूने पर स्रोत ठीक उसी पेज पर खुलता है (MockPoll पर रखी प्रति); पेज नंबर किताब पर छपे वाले हैं

- आयोग का आदेश क्रमांक एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/5310, दिनांक 30.07.2026: मतदाता की पहचान के दस्तावेज़; भारतीय न्याय संहिता की धारा 172 और 174। [आदेश 5310]
- आयोग का आदेश क्रमांक एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014-15/2235, दिनांक 25.06.2019: अलग-अलग दिन मतदान होने पर बाद वाले चुनाव में दाईं तर्जनी पर स्याही। [आदेश 2235]
- आयोग का आदेश क्रमांक एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/14-15/9605, दिनांक 29.09.2026: बुज़ुर्ग मतदाता। [आदेश 9605]
- आयोग की प्रेस विज्ञप्ति और चुनाव कार्यक्रम, क्रमांक एफ.7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/9836-44, दिनांक 03.10.2026 (आदेश 9022 का ज़िक्र पृ. 5 पर); संशोधित कार्यक्रम, आदेश 10090, दिनांक 06.10.2026। [प्रेस विज्ञप्ति 9836, पृ. 5] [कार्यक्रम 9836] [आदेश 10090]
- राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994, नियम 41 (दृष्टिबाधित और शिथिलांग मतदाता) और 44 (निविदत्त मतपत्र), अंग्रेज़ी पाठ। [नियम 41]
- राज्य निर्वाचन आयोग: मार्गदर्शिका, ईवीएम से मतदान, 2026 (EVM पृ.): पेज 20–21, 25–26, 90–92, 113।
- राज्य निर्वाचन आयोग: मार्गदर्शिका, जहाँ मतदान मतपेटी से होगा, 2026 (मतपेटी पृ.): पेज 5, 9, 19–21, 110, 129।